Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 011-23364197
E-mail : mplads@nic.in

सत्यमेव जयते

एक कदम स्वच्छता की ओर

फा.सं.एल-13/012/2014-एमपीलैड्स

Dated .....दिनांक: 05.06.2015

सेवा में,

1) आयुक्त
कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम
2) सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषयः कार्यों की स्वीकृति हेतु समयबद्धता का सख्त अनुपालन, माननीय संसद सदस्यों को अस्वीकृति/स्वीकृति संबंधी सूचना पहुंचाना, कार्यों का निष्पादन तथा एमपीआर का प्रस्तुतीकरण करना ।

महोदय/महोदया,

इस मंत्रालय के ध्यान में यह लाया गया है कि माननीय संसद सदस्यों द्वारा संस्तुत किए गए कार्यों की मंजूरी तथा निष्पादन में विलंब हुआ है ।

2. कार्यों की मंजूरी, निष्पादन के लिए समयबद्धता तथा मासिक प्रगति रिपोर्टों का प्रस्तुतीकरण एमपीलैड्स संबंधी दिशा-निर्देशों में किया गया है । जिला प्राधिकारियों से निर्धारित समयबद्धता का सख्ती से पालन करने का अनुरोध है ।

एमपीलैड्स संबंधी दिशा-निर्देशों के पैरा 3.12 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:-

"सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात्, सभी अनुशंसित पात्र कार्य अनुशंसा की प्राप्ति की तिथि से 75 दिनों के भीतर स्वीकृत किए जाने चाहिए । तथापि, जिला प्राधिकारी अनुशंसाओं की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर अस्वीकृति, यदि कोई है, के संबंध में उनके कारणों सहित संसद सदस्यों को सूचित करेगा ।"

3. कार्य को पूरा करने की समय-सीमा एमपीलैड्स संबंधी दिशा-निर्देशों के पैरा 3.13 में निम्नानुसार उल्लिखित है:-

"स्वीकृति पत्र/आदेश में कार्यान्वयन एजेंसी के लिए कार्य समापन की समय-सीमा निर्धारित की जाएगी । कार्य समापन के लिए समय-सीमा सामान्य तौर पर एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । यदि किसी विशेष मामले में, जहां कार्यान्वयन समय एक वर्ष की सीमा को पार कर जाता है, स्वीकृति पत्र/आदेश में उसके लिए विशेष कारण शामिल किए जाएंगे । स्वीकृति पत्र/आदेश में राज्य सरकार की प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित समय में कार्य पूर्ण करने में असफल रहने पर कार्यान्वयन एजेंसी के विरूद्ध उचित कार्रवाई की शर्त भी शामिल की जाएगी । संबंधित संसद सदस्य को स्वीकृति पत्र/आदेश की प्रति भेजी जाएगी ।"

4. एमपीलैड्स निधियों को जारी करना 1 करोड़ रुपए से कम के असंस्वीकृत शेष तथा 2.5 करोड़ रुपए से कम के अव्ययित शेष की पात्रता मानदंड को पूरा करने के अध्यधीन है । इन शर्तों की गणना मासिक प्रगति रिपोर्टों से की जाती है । जिला प्राधिकरणों द्वारा मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह की 10 तारीख तक निर्धारित फॉर्मेट में भेजी जानी अपेक्षित है ।

5. इन अनुदेशों का जिला प्राधिकारियों द्वारा निष्ठापूर्वक पालन नहीं किया जाता है, जिससे एमपीलैड्स निधियों की किस्तों को जारी करने में विलंब होता है और इसके परिणामस्वरूप एमपीलैड स्कीम के क्रियान्वयन में भी विलंब होता है । जिला प्राधिकरणों से स्कीम के कारगर तथा समय से कार्यान्वयन के लिए निर्धारित समय-सीमा का सख्ती से पालन करने का अनुरोध किया जाता है ।

6. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

भवदीय,

9-6-15

(मित्र सेन)

निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा)
2. सचिव, एमपीलैड्स का काम देख रहे नोडल विभाग (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)
3. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारी ।
6. एनआईसी को एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।